



# Livestock Research Station

Vallabh Nagar, Udaipur (Rajasthan) – 313 601  
Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner  
(Rajasthan)

Mob. 9414734827  
Email- deancvasvbn@gmail.com



DR. R. K. Nagda  
OFFICER INCHARGE

No.F8 ( ) /OI/NVU/Tender/RAJUVAS/2023-24/10

Date: 30.09.2023

प्रबंध निदेशक  
राजस्थान संवाद,  
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,  
सचिवालय जयपुर- 302005


विषय :- निविदा सूचना प्रकाशन के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि इस केन्द्र पर पशु निलामी हेतु निविदा सूचना संख्या No.F8 ( ) /OI/NVU/Gen./RAJUVAS/2019-20/08 दिनांक 30.09.2023 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इस का RTPP नियमानुसार वृहत् परिचालन वाले एक उदयपुर संभाग स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में DIPR दरों पर शीघ्र कराने का श्रम करें। विज्ञापन बिल अखबार की कटिंग सहित प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर के नाम भिजवाना सुनिश्चित करावे। जिससे विज्ञप्ति का भुगतान समय पर किया जा सके।

Sppp. Unique I.D. No. **VAU2324GSOB00082**

संलग्न :- निविदा सूचना तीन प्रति में एवं साफ्ट कॉपी CD में।

  
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, राजूवास, बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. श्रीमान् निदेशक अनुसंधान, राजूवास, बीकानेर
3. नोडल अधिकारी (वेबसाईट [rajuvas.org.in](http://rajuvas.org.in)) राजूवास, बीकानेर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र राजूवास की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. राज्य उपापन पोर्टल ([sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in)) वेबसाईट पर निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड
6. रक्षित पत्रावली

  
प्रभारी अधिकारी



**Livestock Research Station**  
Vallabhnagar, Udaipur (Rajasthan) – 313601  
Rajasthan University of Veterinary and Animal  
Sciences, Bikaner (Rajasthan)

Mob. 9414734827  
Email- deancvasvbn@gmail.com  
CVAS902@gmail.com




Dr. R. K Nagda  
Officer Incharge

क्रमांक F()OI /LRS/NVU/Tender/Rajuvas/2023-24 / 08

दिनांक 30-9-2023

**पशु नीलामी सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर पर गिर व संकर नस्ल की गाय, बछडी व बछडे दिनांक 19.10.2023 को प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक खुली नीलामी द्वारा फार्म परिसर में विक्रय किये जायेंगे। इच्छुक पार्टी/फर्म निर्धारित दिनांक एवं समय पर पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर पर उपस्थित होकर निर्धारित धरोहर राशि 1000/- रुपये नगद जमा करवाकर नीलामी में भाग लेकर पशु कय कर सकते हैं। नीलामी में पशुओं की एकल बोली अथवा समूह में बोली लगाने की सुविधा है। नीलामी संबंधी शर्तें एवं नियम तथा पशुओं की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.rajuvas.org](http://www.rajuvas.org) पर उपलब्ध है।

  
प्रभारी अधिकारी



**Livestock Research Station**  
Vallabhnagar, Udaipur (Rajasthan) – 313601  
Rajasthan University of Veterinary and Animal  
Sciences, Bikaner (Rajasthan)

Mob. 9414734827  
Email- deancvasvbn@gmail.com  
CVAS902@gmail.com

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

Dr. R. K Nagda  
Officer Incharge

क्रमांक F( ) OI /LRS /NVU /Teder/Rajuvus/2023-24 /

दिनांक

**पशुओं की खुली नीलामी की नियम व शर्तें**

1. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, वल्लभनगर, उदयपुर पर खुली नीलामी द्वारा पशुओं की बिक्री दिनांक **19.10.2023** को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे के मध्य की जावेगी। सम्पूर्ण पशुओं का नीलामी मे नम्बर नही आने पर नीलामी अगले कार्य दिवस पर भी जारी रहेगी।
2. प्रत्येक बोली दाता को बोली में सम्मिलित होने से पूर्व पशुओं की बोली के लिए राशि ₹1000 धरोहर के रूप में नगद जमा करवाने होंगे।
3. केवल वही व्यक्ति संस्थान बोली में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा धरोहर राशि ₹1000 नगद जमा करवाई गई है।
4. उच्चतम बोली दाता का निर्णय कमेटी द्वारा हो जाने के पश्चात उच्चतम बोली दाता एवं वरीयता में उसके पश्चात आने वाले बोले दाता की धरोहर राशि रोककर शेष बोली दाताओं को धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी।
5. बोली लगाने वाले को पंजीकरण फार्म के साथ अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यदि बोली किसी गोशाला/संस्थान/कम्पनी के नाम से लगायी जानी हो तो बोली को उस फर्म का अधिकृत पत्र भी साथ लाना होगा।
6. नीलामी की दिनांक एवं समय में परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र को है। समय एवं दिनांक में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
7. नीलामी के दौरान पशुओं की संख्या घटाई या बढ़ायी जा सकती है।
8. प्रत्येक पशु की कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य (Base Price) से उपर कम से कम तीन बोली लगानी होगी तभी पशु को बेचा जायेगा।
9. कमेटी को उच्चतम बोली प्रतीत नहीं होने पर संबंधित पशु को नीलामी से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा, भले ही बोली न्यूनतम बोली (Base Price) से अधिक हो।
10. प्रत्येक पशु की न्यूनतम मूल्य (Base Price) कमेटी द्वारा आपसी मंत्रणा कर निर्धारित की जायेगी इस मूल्य का पशु के पुस्तकीय मूल्य से कोई संबंध नही होगा।
11. बोलीदाताओं को पशुओं की बोली न्यूनतम निर्धारित मूल्य के उपर 500 रुपये के गुणांक में लगानी होगी।
12. जिसकी भी बोली तीन बोलते ही छूट जावेगी, उस बोलीदाता को उसी समय बोली राशि का 25% नगद जमा करवाना होगा अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसे नीलामी से बाहर कर दिया जावेगा।
13. उच्चतम बोली लगाने वालों को बची हुयी 75% राशि दो दिन के भीतर नगद जमा करानी होगी। दो दिन के भीतर बची हुयी राशि नहीं चुकाने पर अगले 5 दिनों तक

*R.K. Nagda*



**Livestock Research Station**  
Vallabh Nagar, Udaipur (Rajasthan) – 313601  
Rajasthan University of Veterinary and Animal  
Sciences, Bikaner (Rajasthan)

Mob. 9414734827  
Email- deancvasvbn@gmail.com  
CVAS902@gmail.com

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

Dr. R. K Nagda  
Officer Incharge

- 200 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से पशु के चारा-दाने के पार्टी से वसूले जायेंगे, अन्यथा उक्त राशि को धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
14. नीलामी में बोली छूटने के 7 दिन बाद तक (2 दिन निःशुल्क और 5 दिन सशुल्क) पार्टी द्वारा पशु नहीं ले जाने पर बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा पार्टी द्वारा जमा करवायी गयी समस्त धरोहर राशि एवं 25% मूल्य राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
  15. पशु की बोली छूटने के बाद पशु की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। अतः बोलीदाता यथा शीघ्र पशु को उसका मूल्य चुका कर ले जावें। बोली छूटने के बाद पशु के साथ किसी भी प्रकार की दूर्घटना/बीमारी/चोरी/मृत्यु आदि के लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं न ही बोलीदाता को किसी प्रकार की राशि लौटायी जावेगी।
  16. यदि बोलीदाता से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जानी हो तो धरोहर राशि को अवशेष 75% राशि में समायोजित किया जावेगा।
  17. एक पार्टी एक से अधिक पशुओं की बोली में भाग ले सकती है।
  18. यदि किसी बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली नहीं लगाने के कारण पशुओं की खरीद नहीं होती है उसे धरोहर राशि नीलामी पश्चात् लौटा दी जावेगी। डी.डी./बैंकर्स चेक देने वाली पार्टी का उनकी डी.डी. यथा स्थिति लौटा दिया जावेगा एवं अन्य माध्यम से भुगतान करने वाली पार्टियों को जरिये चेक/ऑनलाइन धरोहर राशि लौटायी जावेगी।
  19. पशुओं की लोडिंग एवं ट्रांसपोर्ट का सम्पूर्ण खर्च कय पार्टी को करना होगा।
  20. पंजीकरण फार्म के साथ धरोहर राशि जमा कराने वाले व्यक्ति/पार्टी को टोकन दिया जायेगा। बोली लगाने से पूर्व टोकन संख्या एवं पार्टी को अपना नाम बोलना होगा।
  21. नीलामी कमेटी, नीलामी के समय पशु के बारे में उपलब्ध सूचना सबको बतायेगी। पशुओं के बारे में अन्य सूचना विशेष रूप से पेडिग्री/प्रोडक्शन रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिये कमेटी बाध्य नहीं है एवं ऐसी किसी भी सूचना के लिए मना भी किया जा सकता है।
  22. किसी भी प्रकार के विवाद में कमेटी का निर्णय सर्वसम्मत होगा एवं न्यायक्षेत्र वल्लभनगर होगा।